राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

Website : secjharkhand.nic.in
Email : jsec-jhr@nic.in
दूरभाष:0651–2284012 / 9264474491

पत्रांक: 03नि0 / पं0–22 / 2022 रा0नि0आ0......1496 राँची, दिनांक........31/5/22

प्रेषक,

राधे श्याम प्रसाद,
सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड।

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के निमित्त आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधिसूचना संख्या–541 दिनांक 09.04.2022 द्वारा यह घोषित किया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के लिए चार चरणों में निर्वाचन कार्य सम्पन्न किया जाएगा। उक्त निर्वाचन कार्य का चतुर्थ एवं अंतिम चरण का मतदान दिनांक 27.05.2022 को सम्पन्न होगा। साथ ही तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए मतगणना का कार्य दिनांक 31.05.2022 को निर्धारित है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के उपरान्त जिला परिषद् अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष (प्रमुख) एवं उप मुखिया के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का कार्यक्रम सम्पन्न किया जाएगा।

कतिपय विभागों द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति की अपेक्षा की गई है कि दिनांक 27.05.2022 को चतुर्थ चरण के मतदान के पश्चात् स्वीकृति आदेश का संसूचन किया जा सकता है अथवा नहीं।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि आदर्श आचार संहिता का प्रमुख उद्देश्य है कि आम मतदाता को प्रभावित / दिग्भ्रमित न किया जा सके। साथ ही राजनैतिक बल, धनबल, बाहुबल आदि का दुरूपयोग न हो। इस कारण निर्वाचन कार्य की समाप्ति (मतगणना कार्य की समाप्ति) तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहती है। चूँकि अंतिम चरण का मतदान कार्य सम्पन्न हो चुका है तथा मतगणना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, अतः मतगणना कार्य की समाप्ति के उपरान्त आदर्श आचार संहिता निष्प्रभावी हो जायेगी।

विश्वासभाजन

31/5/22

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

Website : secjharkhand.nic.in
Email : jsec-jhr@nic.in
दूरभाष:0651–2284012 / 9264474491

पत्रांकः 03नि0 / पं0–22 / 2022 रा0नि0आ0......1442 राँची, दिनांक........27-05-2022

प्रेषक,

राधे श्याम प्रसाद,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के निमित्त आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधिसूचना संख्या–541 दिनांक 09.04.2022 द्वारा यह घोषित किया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के लिए चार चरणों में निर्वाचन कार्य सम्पन्न किया जाएगा। उक्त निर्वाचन कार्य का चतुर्थ एवं अंतिम चरण का मतदान दिनांक 27.05.2022 को सम्पन्न होगा। साथ ही तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए मतगणना का कार्य दिनांक 31.05.2022 को निर्धारित है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के उपरान्त जिला परिषद् अध्यक्ष, पंचायत समिति अध्यक्ष (प्रमुख) एवं उप मुखिया के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का कार्यक्रम सम्पन्न किया जाएगा।

कुछ जिलों से इस संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी अथवा नहीं।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि आदर्श आचार संहिता का प्रमुख उद्देश्य है कि आम मतदाता को प्रभावित / दिग्भ्रमित न किया जा सके। साथ ही राजनैतिक बल, धनबल, बाहुबल आदि का दुरूपयोग न हो। अतः निर्वाचन कार्य की समाप्ति (मतगणना कार्य की समाप्ति) के उपरान्त आदर्श आचार संहिता निष्प्रभावी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं रहती है।

विश्वासभाजन

27/5/22

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग